

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. मोठीना उम्र 70 साल पुत्र श्री घीस्या, जाति कोली, पेशा- काश्तकारी, निवासी रारासायपुर तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज० आदेश तारीखी 09.01.2006 के अनुशरण में डिलीट किया गया।
1. रमेश चन्द उम्र 41 साल पुत्र श्री दौजीराम, जाति कोली, निवासी राराशाहपुर हरिहरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली _____ वादी

बनाम

1. बंदी उम्र 55 साल पुत्र श्री नारायण
 2. लक्ष्मण उम्र 48 साल पुत्र श्री चरण
 3. मुकेश उम्र 35 साल पुत्र श्री चरण
 4. अशोक उम्र 30 साल पुत्र श्री चरण
- सभी जाति ब्राह्मण,
नि० बिहारी का पुरा, तन हाडौली,
तह० हिण्डौनसिटी हाल तह. सूरौठ
जिला करौली राज. _____ प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा,

मुकदमा नं० 468 / 2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पी०एल० गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 751 रकबा 0.38 है० वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी सं०1 बंदी की ओर से दिनांक 24.01.2008 को प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.08.2025 को यह डिकी जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली